R/C
14/05/24

एडवान्स प्रति

प्रेषक विमल प्रकाश आर्य
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
बलरामपुर।

सेवा में श्रीमान महानिबन्धक महोदय
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद।

द्वारा श्रीमान जनपद न्यायाधीश
बलरामपुर।

पत्राँक सं० :279 /D.L.S.A./Blp/2024 Dated:10.05.2024

विषय : माननीय मुख्य न्यायाधीश, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से व्यक्तिगत भेंट वार्ता कराये जाने हेतु समय प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : मेरे द्वारा दि0 30.04.2024 व दि0 01.05.2024 को प्रेषित पत्रॉक सं0 241 को माननीय न्यायालय को अग्रसारित न किये जाने व इस बावत प्रेषित 01. पत्राँक सं० 250/D.L.S.A./Blp. Dated:02.05.2024, 02.पत्राँक सं० 254/D.L.S.A. /Blp. Dated:04.05.2024 03. पत्रॉक सं0 264 /D.L.S.A./Blp/2024 Dated:06.05.2024 की पावती प्रशासनिक कार्यालय बलरामपुर द्वारा न दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

सादर अवगत कराना है मुझ अधोहस्ताक्षरी का माह नवम्बर 2023 व माह दिसम्बर 2023 का वेतन समय से और दिनाँक 30.04.2024 तक (लगभग छः माह व्यतीत होने पर भी) प्रदान न किये जाने के सम्बन्ध में मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा पत्राँक सं० : 241/D.L.S.A./Blp. Dated:30.04.2024 को बन्द लिफाफे में रख कर भिजवाया गया जिसकी कोई पावती प्रशासनिक कार्यालय बलरामपुर द्वारा नहीं दी गयी और न ही उक्त पत्राँक श्रीमान महानिबन्धक मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद को अग्रसारित किया गया। दिनाँक 01.05.2024 को उक्त बन्द लिफाफा प्रशासनिक कार्यालय के कर्मचारी ने, मेरे कार्यालय के कर्मचारी को यह कहते हुए प्रशासनिक कार्यालय से वापस/प्रदत्त कर दिया गया कि बन्द लिफाफे में रखा पत्र खोलकर भिजवाया जाए , तत्पश्चात पत्राँक सं०: 241/D.L.S.A./Blp. Dated:01.05.2024 को खुले रूप में प्रेषित कर दिया गया, जो अग्रसारित होकर मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, न ही उक्त पत्रांक की पावती प्रशासनिक कार्यालय द्वारा दी गयी है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि प्रशासनिक कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा किसी भी पत्र की कोई भी पावती नहीं दी जाती है, जिसे मेरे द्वारा महोदय को पूर्व में कई अवसरों पर मौखिक रूप से व पूर्व में लिखित में भी अवगत कराया जा चुका है।

उक्त पत्राँक की पावती न दिये जाने पर पत्राँक सं० 250/D.L.S.A./Blp. Dated:02.05.2024 को प्रेषित किया गया जिसकी भी कोई पावती नही दी गयी है।

पत्राँक सं० 250/D.L.S.A./Blp. Dated:02.05.2024 की पावती न दिये जाने पर पत्राँक सं० 254/D.L.S.A./Blp. Dated:04.05.2024 को प्रेषित किया गया, जिसकी भी पावती भी नहीं दी गयी। तत्पश्चात पत्राँक सं० 264 /D.L.S.A./Blp/2024 Dated:06.05.2024 को प्रेषित किया गया, जिसकी भी कोई पावती आज दिनाँक 10.05.2024 तक नहीं दी गयी। चूँकि मेरे किसी भी पत्र

की कोई पावती प्रशासनिक कार्यालय नहीं दी जाती है, इसकी भली-भाँति जानकारी होने पर ही मेरे द्वारा दिनाँक 30.04.2024 को महोदय को एडवान्स प्रति पंजीकृत डाक से प्रेषित की गयी थी, और नोट में भी इस बावत उल्लेख किया गया था।

अतः श्रीमान जी से करबद्ध निवेदन है कि मेरे इस प्रत्यावेदन को माननीय न्यायालय के समक्ष रखे जाने की कृपा करें तथा माननीय मुख्य न्यायाधीश, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से व्यक्तिगत भेंट वार्ता कराये जाने हेतु समय प्रदान कराये जाने की कृपा करें।

सादर ससम्मान

भवदीय

10.05.2024

दिनाँक: 10.05.2024

(विमल प्रकाश आर्य)
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
बलरामपुर।

नोटः चूँकि मेरे किसी भी आवेदनपत्र की पावती प्रशासनिक कार्यालय द्वारा नहीं दी जाती है, जिसका उल्लेख मैंने अपने प्रत्यावेदन में किया है। अतः उक्त की एक एडवान्स प्रति पंजीकृत डाक द्वारा भी माननीय न्यायालय को प्रेषित की जा रही है।

श्रीमानजी आपके पत्रांक
सं० 279 की एक प्रति
प्रशासनिक कार्यालय में
बाबू को दे दिया गया है
पावती नही दिया गया है

राजेश गौड़
14/05/24

Subject: माननीय मुख्य न्यायाधीश, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से व्यक्तिगत भेंट वार्ता कराये जाने हेतु समय प्रदान कराये जाने के सम्बंध में।
From: District Court Balrampur <dcblr@allahabadhighcourt.in>
Date: May 10, 2024, 5:18:13 PM
To: Registrar General <rg@allahabadhighcourt.in>

Sir,

Please find the attachment.

From:-
DLSA Secretary/ ADJ
Balrampur

Attachments:

Letter No 279.pdf